राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रमकी देवी बनाम महन्त सुन्दरपुरी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 25/02/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
25/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 220/3 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम सुरपुरा मय दिगर आराजीयात के वादी के गुरू भाई किशनपुरी के कब्जे काश्त तथा अधिकार एवं उपयोग व उपभोग की भूमि है जिस पर वादी के गुरू भाई किशनपुरी गुसाई अपने जीवनकाल मे तथा उसकी मृत्यु के बाद वादी निरन्तर काबिज रह कर उपयोग तथा उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का कतई कोई सम्बन्ध एवं वास्ता नहीं रहा है। वादी के गुरू भाई की खातेदारी तथा कब्जे व अधिकार की भूमि खसरा नम्बर साबिक 220/2 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम सुरपुरा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 के मृतक पिता भूरा ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर खिलाफ कानुन एक पक्षीय मे बिना वादी अथवा उसके गुरू भाई को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही कराली है जिसके सम्बन्ध मे पृथक से कार्यवाही की जावेगी। वर्तमान सैटलमेंट की कार्यवाही मे मृतक भूरा ने भू-प्रबन्ध वालों से साज करके भू-प्रबन्ध कर्मचारियों से वादी के कब्जे व अधिकार के विपरीत गलत तथा मनमाना मिलान क्षेत्रफल बनाकर वादी के अधिकार व कब्जे काश्त की भूमि के हाल खसरा नम्बर 448 रकबा 0.38 हैक्ट. वाके ग्राम सुरपुरा वर्तमान राजस्व ग्राम लीलों का बास तहसील विराटनगर की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 के मृतक पिता भूरा के नाम अंकित कर दी है तथा वादी के गुरू भाई के नाम गलत एवं मनमाने क्षेत्रफल के आधार पर हाल खसरा नम्बर 448/0.38 हैक्ट. के बजाय हाल खसरा नम्बर 445/0.31 हैक्ट. अंकित कर दी है जो काबिल दुरूस्ती है। वादी के गुरू ने अपने कब्जे काश्त तथा खातेदारी व अधिकार की भूमि में मूलचन्द पुत्र लाखा व बाबूलाल पुत्र प्रभूदयाल रैगर निवासी लीलोंका बास को रिहायश हेतु लगभग 150 वर्गगज भूमि भी दे रखी थी जिसके एवज में वह उक्त भूमि की देखभाल तथा साज सम्भाल करता चला आया है तथा वर्तमान में भी घर व झोंपडी रिहायश में निवास करता आ रहा है। उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का किसी भी प्रकार का कोई वास्ता अथवा सम्बन्ध नहीं रहा है। प्रतिवादी संख्या 2 के पिता मृतक भूरा ने अपने जीवनकाल मे आराजी मुतनाजा की खातेदारी भू-प्रबन्ध विभाग से साज करके गलत मिलान क्षेत्रफल बनवाकर अपने नाम दर्ज करा लेने तथा आराजी मुतनाजा के राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 8 के निकट स्थित होने का राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रमकी देवी बनाम महन्त सुन्दरपुरी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की में जारी
169/2023		

अनुचित लाभ उठाने की गर्ज से गुपचुप मे बिना वादी को किसी प्रकार की जानकारी के आराजी मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 448/0.38 हैक्ट. में से 133.33 वर्गगज भूमि के जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.02.1996 के प्रतिवादी संख्या 1 के हक में ट्रान्सफर कर दी है जबकि सम्पूर्ण अराजी मुतनाजा पर वर्तमान में भी वादी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। आराजी मुतनाजा में से रकबा 133.33 वर्गगज भूमि मृतक भूरा द्वारा ट्रान्सफर करने के बाद उसकी मृत्यु हो गयी है। प्रतिवादी संख्या 2 उसका सुल्बी लडका तथा वारिस कानुनी है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को आराजी मुतनाजा सम्पूर्ण की खातेदारी अपने नाम दुरूस्त कराने हेतु कई बार निवेदन किया मगर वे टालमटोल करते रहे तथा अब अर्सा एक सप्ताह पूर्व खातेदारी वादी के नाम दुरूस्त कराने से इन्कार हो गये तथा उन्होने वादी को एलानियां धमकी दी कि वे तुरन्त ही मौका पाकर खातेदारी अपने नाम परिवर्तन करायेगें तथा दिगर लोगों को ट्रान्सफर कर उनका आराजी मुतनाजा पर जबरन कब्जा करायेगें एवं वादी को जबरन बेदखल करेगें। इस कारण प्रस्तुत वाद दायर करना आवश्यक हुआ है। अन्यथा में वादी एवं उसके गुरू आराजी मुतनाजा पर अर्सा अततायद 12 वर्षों से अधिकार पूर्ण तरीके से शान्तिपूर्वक बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से प्रतिवादीगण एवं मृतक भूरा की जानकारी में काबिज रह कर उपयोग तथा उपभोग करते तथा मूलचन्द, बाबूलाल रैगर लीलो का बास रिहाया के उपयोग में लेने देते आ रहे है इस कारण मृतक भूरा का आराजी मुतनाजा में किसी भी प्रकार का कोई हक हकूक होना माना भी जावे तो उसका अर्सा अजजायद 12 वर्ष से कब्जा काश्त नही होने से हक हकूक समाप्त हो चुके है तथा वादी को एडवर्स पजेशन के आधार पर हकूक खातेदारी उत्पन्न हो चुके है। दावा बअनुसार खण्ड सख्या 1 व 3 वाद पत्र के उत्पन्न होकर खण्ड संख्या 6 वाद पत्र के अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा आराजी मुतनाजा की खातेदारी वादी के नाम दुरूस्त कराने से इन्कार हो जाने तथा उसकी दुरूस्ती कराने से इन्कार हो जाने तथा उसकी खातेदारी गुपचुप में प्रतिवादी संख्या 3 के अधिनस्थ अधिकारीगण से अपने नाम करा लेने तथा द्विगर व्यक्तियों को ट्रान्सफर कर उसका कब्जा कराने तथा वादी को जबरन बेदखल करने की धमकी देने के फलस्वरूप पैदा हुआ दावा अन्दर मियाद प्रस्तुत है। वाद पत्र के अन्त में ईस्त दुआ चाही गयी कि दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी खसरा नम्बर रकबा व सीमा निश्चयकरण बहक वादी बखिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की प्रदान की जावे कि हाल खसरा खसरा नम्बर 448/0.38 है बाके ग्राम लीलो का बास तह. विराटनगर का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जा कर हाल खसरा नम्बर 445/0.31 है, की खातेदारी वादी से खारिज की जाकर आराजी मुतनाजा हाल

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रमकी देवी बनाम महन्त सुन्दरीपुरी

ख हुक्म	169/2023 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खसरा नम्बर 440/0.38 है, बाके ग्राम लीलो का बास की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज की जावें एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे |

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.11.06 को दावा खारिज किये जाने पर पत्रावली न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा तलब की गयी तथा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.12.2007 के द्वारा अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त कर प्रतिप्रेषित की गयी | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली पुन: प्राप्त होने पर प्रतिवादीगण की तलबी नोटिस जारी किये तथा प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी तथा प्रकरण साक्ष्य वादी मे नियत किया गया। वकील वादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 209 R.T. Act का पेश किया गया जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय मे प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण को कब्जे व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.07.1996 को ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया । इसके पश्चात् प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए आराजी मुतनाजा के कुछ भू-भाग पर जबरन नींव खोदकर चार दुकानों का निर्माण कर लिया, इसके पश्चात् वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अवमानना पेश किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 04.05.1998 पारित करते हुए निर्माण कार्य ध्वस्त करने का तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिया गया तथा प्रतिवादीगण द्वारा आराजी मुतनाजा पर जो पुख्ता निर्माण करवाकर चार दुकानों का निर्माण करवाया गया उन्हें ध्वस्त करने का भी निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व आदेशों की पालना करवाने के लिए वकील वादी का प्रार्थना पत्र 209 R.T. Act स्वीकार किया गया । वकील वादी ने साक्ष्य वादी मे महन्त रणपुरी चेला महन्त सुन्दरपुरी जी महाराज निवासी नीझर का तथा जगदीश प्रसाद शर्मा का तथा महेश टेलर के शपथ पत्र पेश किये गये जो शामिल मिसल किये गये । तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की बहस समायत कर निर्णय व डिक्री दिनांक 29/03/2011 पारित करते हुये वाद डिक्री फरमा दिया गया | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संशोधित निर्णय दिनांक 25/11/2014 पारित किया गया | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रमकी देवी बनाम महन्त सुन्दरपुरी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
169/2023		

डिक्री दिनांक 29/03/2011 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 25/11/2014 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित समझा जाता है | जहाँ तक अपील के गुणावगुण का प्रश्न है तो इस संदर्भ में दौराने बहस उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता हा कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों का समुचित परिक्षण एवं विवेचन करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, ऐसेमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित्त एवं आवश्यक प्रतीत नही होता है |

अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29/03/2011 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 25/11/2014 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 25/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर